इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 339] भोपाल, बुधवार, दिनांक 18 अगस्त 2021—श्रावण 27, शक 1943

तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2021

क्र. एफ-1-35-2014-बयालीस-1.—मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973) की धारा 43 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश तकनीकी शिक्षा अभियांत्रिकी महाविद्यालय (अध्यापन संवर्ग) सेवा (भरती) नियम, 2004 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 5 में, उप-नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंत:स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—

"(4) पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों में प्राचार्य के रिक्त पदों के लिए शासकीय संवर्ग के ऐसे प्राध्यापक, जिनके पास प्राचार्य के पद के लिए विहित अर्हता हो, एआईसीटीई विनियम, 2019 में उल्लिखित चयन प्रक्रिया के अनुसार 5 वर्ष के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं;

(5) कोई व्यक्ति जो शासकीय संवर्ग से संबंध रखता है, किसी संस्था के प्राचार्य के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकता है;

(6) शासकीय संवर्ग के चयनित व्यक्ति के प्राचार्य के पद के लिए आदेश शासन स्तर से जारी किए जाएंगे;

(7) नियुक्ति के पश्चात्, यदि शासन या संस्था प्रबंधन द्वारा सीधी भर्ती द्वारा प्राचार्य की पदस्थापना की जाती है, तो ऐसी स्थिति में, इस व्यवस्था के अधीन नियुक्त प्राधिकारी स्वत: ही अपनी मूल पदस्थापना पर वापस हो जाएगा.".

No. F-1-35-2014-XLII-1.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 43 of the Madhya Pradesh Society Registration Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973), the State Government, hereby, makes the following amendments in Madhya Pradesh Technical Education Engineering College (Teaching Cadre) Service (Recruitment) Rules, 2004, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules,—

in rule 5, after sub-rule (3), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(4) for the vacant posts of Principal in polytechnic colleges, such Professors of the government cadre who have the prescribed qualification for the post of Principal can be appointed for 5 years as per the selection process mentioned in the AICTE Regulations, 2019;

(5) A person who belongs to the government cadre can submit an application for the post of Principal of any institution;

(6) Orders will be issued from the Government level for the post of Principal of the selected person of the government cadre;

(7) After appointment, if the Principal is posted by direct recruitment by the government or institution management, in such a situation, the authority appointed under this arrangement will automatically return to its original posting.".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़, अपर सचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.